अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

राजीव नारायण रैना से पहले जे.

प्रमोद कुमार एवं अन्य—*याचिकाकर्ताओं*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—*उत्तरदाताओं*

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 6305

सितम्बर 17, 2018

ए) ***भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226, 227—तदर्थ सेवा क्या अतिरिक्त वेतन वृद्धि, उच्च मानक वेतनमान, एसीपी वेतनमान और वरिष्ठता के लिए गिना जाना चाहिए - योजनाओं/नियमों में आवर्ती अभिव्यक्ति 'नियमित संतोषजनक सेवा' की न्यूनतम आवश्यकता है - सरकार का इरादा - नियमित सेवा और तदर्थ सेवा नहीं।***

*आयोजित,*ऊपर देखी गई सभी प्रासंगिक योजनाओं और समयबद्ध पदोन्नति वेतन वृद्धि और पदोन्नति वेतनमान प्रदान करने वाले वैधानिक नियमों को ध्यान से पढ़ने और निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में पुनरुत्पादित करने से पता चलता है कि उक्त योजनाएं / नियम इन लाभों के लिए प्रदान करते हैं यानी अतिरिक्त वेतन वृद्धि, उच्चतर नियमित सेवा की एक निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर मानक वेतनमान, एसीपी स्केल। इन योजनाओं/नियमों में जो अभिव्यक्ति बार-बार आती है और उनके द्वारा बजाए जाने वाले गाने का बोझ 'नियमित संतोषजनक' या 'नियमित सेवा' की न्यूनतम आवश्यकता है। इसलिए, सरकार का इरादा है कि इन समयबद्ध पदोन्नति लाभों को प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा को बिना किसी संदेह के 'नियमित सेवा' माना जाए, न कि केवल 'सेवा' ताकि इसमें अस्थायी, तदर्थ या कार्य प्रभार शामिल हो। सेवा, और यह स्पष्ट अर्थ सेवा में स्थिरता को सुधारने के लिए रियायतों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जो प्रशासन में दक्षता के लिए स्वीकृत अभिशाप था ताकि काम करने की इच्छा बाधित न हो। एक बार जब योजना या नियम स्पष्ट रूप से 'नियमित सेवा' प्रदान करते हैं, तो लाभ कैसे काम करते हैं, इसके पाठ और संदर्भ में आवश्यकता से अधिक कोई प्रक्षेप किए बिना या व्याख्यात्मक प्रक्रियाएं शुरू किए बिना इसे उसी रूप में लिया जाना चाहिए।

(पैरा 20)

*आगे आयोजित,*जो ऊपर चर्चा की गई है, उसके लिए यह आयोजित किया जाता है वह:-

(i) याचिकाकर्ता अपनी तदर्थ/कार्य-प्रभारित/अस्थायी सेवा की अवधि को वरिष्ठता में गिनने के हकदार नहीं हैं

उस तिथि से पहले कैडर में वे नियमित हो गए थे और राज्य सरकार की प्रासंगिक नीतियों के संदर्भ में पहली बार सेवा के सदस्य बन गए थे।

(ii) याचिकाकर्ता 8/18 वर्ष की सेवा के साथ-साथ 10/20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अपनी तदर्थ/कार्य-प्रभारित सेवा की अवधि के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं हैं, क्योंकि ऐसी अवधि नियमित के रूप में योग्य नहीं है। 7 अगस्त 1992 की संशोधित योजना के अनुसार संतोषजनक सेवा।

(iii) इसी तरह, याचिकाकर्ता अपने तदर्थ/कार्य प्रभार/अस्थायी सेवा आदि की अवधि के लिए उच्च मानक वेतनमान के वित्तीय उन्नयन या सुनिश्चित कैरियर प्रगति वेतनमान के लाभ के हकदार नहीं हैं। केवल नियमित सेवा प्रदान की गई है जो संतोषजनक है। इन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार इन मौद्रिक लाभों के अधिकारों का दावा करने के लिए।

(पैरा 43)

बी) ***वरिष्ठता संबंधी विवाद- प्रभावित निजी पक्ष नहीं***

पक्षकार बनाया गया-याचिकाएँ ख़ारिज कर दी गईं।

*पर आयोजित,*इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वरिष्ठता के मुद्दे पर राज्य की अपील को खारिज करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान याचिकाकर्ता विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, जो तदर्थ/कार्य-प्रभारित/अस्थायी सेवा में जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे उन्हें नियमित से अधिक चुपचाप मार्च करना पड़ सकता है। ऐसे भर्तीकर्ता जो अदालत के समक्ष पक्षकार नहीं हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी वरिष्ठता के मामले में और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना प्रभावित होने की संभावना है। और इस आधार पर वे याचिकाएँ जिनमें निजी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ख़ारिज किये जाने योग्य हैं।

(पैरा 22)

*आगे आयोजित,*यह स्थापित स्थिति है कि वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण के दावे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब इससे कैडर के अतीत और वर्तमान में उन लोगों के प्रचलित हित प्रभावित होने की संभावना हो, जिन्हें कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। कई निर्णयों में से, उच्चतम न्यायालय के किसी एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है*राजस्थान राज्य बनाम उच्छब लाल छानवाल, (2014) 1 एससीसी 144.* सर्टिओरारी और परमादेश की रिट जारी करने से इनकार करने का यह एक अतिरिक्त कारण है।

(पैरा 35)

सी) ***विलय का सिद्धांत-अनुदान से पहले या बाद में एसएलपी को खारिज करना***

राहत की बात - जब उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

*आयोजित,*कि विशेष अनुमति याचिका को ख़ारिज कर दिया जाए*आरम्भ*एक गैर-बोलने वाला आदेश किसी भी निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराता है कि आवश्यक निहितार्थ से, मामले की योग्यता पर एसएलपी में उठाए गए विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और याचिका की इस तरह की अस्वीकृति पार्टी को उच्च में जाने से नहीं रोकेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत मांगने या समीक्षा के लिए न्यायालय। जब छुट्टी दी जाती है और याचिका को अपील में बदल दिया जाता है तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। बिना कारण या विस्तृत कारणों के भी गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा छुट्टी देने के बाद अपील को खारिज करना 'विलय' के सिद्धांत को आकर्षित करता है, जिसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है, जहां से अपील उत्पन्न हुई है।

(पैरा 24)

<u>याचिकाकर्ता के लिए:-</u>

आरएल शर्मा, अधिवक्ता

आनंद भारद्वाज, अधिवक्ता रवि

वर्मा, अधिवक्ता

मदनपाल, अधिवक्ता

-संजीव गुप्ता, अधिवक्ता

मोनिका अरोड़ा, अधिवक्ता

अनुराग गोयल, अधिवक्ता

जसपाल सिंह मणिपुर, वकील, और सोनम

जंजुआ, वकील

अनुज गर्ग, अधिवक्ता सचिन
गुप्ता, अधिवक्ता

एनके मल्होत्रा, अधिवक्ता

एसके यादव, अधिवक्ता

जसबीर मलिक, अधिवक्ता

-उमेश नारंग, अधिवक्ता

बीके बागरी, अधिवक्ता

दीपक सोनक, अधिवक्ता

रविंदर मलिक, एडवोकेट नरेंद्र पाल

भारद्वाज, एडवोकेट रविंदर मलिक

(रवि), एडवोकेट

रवि शर्मा, अधिवक्ता

अभय गुप्ता, अधिवक्ता

आरडी यादव, अधिवक्ता

-आरएस हुडा, अधिवक्ता

पीएल वर्मा, अधिवक्ता

-सुभाष आहूजा, अधिवक्ता। हरियाणा

राज्य के लिए:- हरीश राठी, सीनियर

डीएजी, हरियाणा शुरुति जैन गोयल,

डीएजी, हरियाणा। निजी उत्तरदाताओं के

लिए कोई नहीं।

राजीव नारायण रैना, जे.

(1) यह आदेश उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा करेगा साथ ही आदेश के निचले भाग में सारणीबद्ध अन्य संबंधित रिट याचिकाएं* (101 मामलों की संख्या) हालांकि उनमें से कुछ एक या अधिक रूपों में शामिल विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं, यह सवाल है कि क्या अतिरिक्त वेतन वृद्धि जैसे विभिन्न सेवा अधिकारों के लिए तदर्थ सेवा की गणना की जानी चाहिए। , उच्च मानक वेतनमान, एसीपी वेतनमान और वरिष्ठता इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई इन व्यापक राहतों का दावा करने के लिए मुख्य फोकस हैं।

(2) इनमें से कई मामलों में प्रारंभ में की गई नियुक्तियाँ शामिल हैं रोजगार कार्यालय से नाम बुलाए गए, जबकि उनमें से कुछ सार्वजनिक विज्ञापनों और विभाग स्तर पर स्थानीय चयन समितियों के माध्यम से चयन किए गए थे।

(3) इन मामलों को निर्णय की प्रतीक्षा के लिए स्थगित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में***हरियाणा राज्य****बनाम****हनुमंत सिंह***2015 की सिविल अपील संख्या 322 (2009 की एसएलपी संख्या 11128 से उत्पन्न) जिसके आदेश हाल ही में 10 मई, 2018 को सुनाए गए हैं, जिसमें उन अपीलों के समूह को खारिज कर दिया गया है, जिनमें से मुख्य याचिका का शीर्षक है***हरियाणा राज्य और अन्य****बनाम****राजेंद्र कुमार एवं अन्य***, 2015 की सिविल अपील संख्या 321 के साथ।

(4) हरियाणा राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की प्रार्थना की जा रही है***हनुमंत सिंह और***

अन्य**बनाम**हरियाणा राज्य और अन्य[1]. रिट याचिकाओं के उक्त बैच में, याचिकाकर्ताओं ने उन विवादित आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की थी जिनके द्वारा 8/18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दी गई वरिष्ठता, उच्च मानक वेतनमान और एसीपी स्केल का लाभ वापस ले लिया गया था। इन मामलों में की गई दलीलों के मद्देनजर, डिवीजन बेंच ने अपने उत्तर के लिए निम्नलिखित तीन प्रश्न तैयार किए:

> "1. क्या नियमित सेवा के बाद तदर्थ सेवा/कार्य प्रभारित सेवा को 8/18 या 10/20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान/सुनिश्चित कैरियर प्रगति का लाभ देने के प्रयोजनों के लिए गिना जा सकता है?
>
> 2. क्या नियमित सेवा के बाद तदर्थ सेवा/कार्य प्रभारित सेवा को 10/20 वर्ष या 8/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चालू वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के उद्देश्य से गिना जा सकता है?
>
> 3. क्या नियमित सेवा के बाद तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा को पेंशन और वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा?"

(5) विवाद का निर्णय करने के लिए खण्डपीठ समूह 'सी' और 'डी' सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कमी और ठहराव का ध्यान रखते हुए समय-समय पर हरियाणा राज्य द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं पर विचार किया गया। चूंकि याचिकाओं के वर्तमान समूह में, इन योजनाओं के तहत विभिन्न दावे किए गए हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन योजनाओं पर संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।

<u>पुन: अतिरिक्त वेतन वृद्धि.</u>

(6) हरियाणा सरकार ने 14 मई के परिपत्र के माध्यम से, 1991 में पहली बार नियमित के अलावा समूह 'सी' और 'डी' के सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1986 से लागू समयमान में सेवा के 10वें वर्ष के पूरा होने पर एक और 20वें वर्ष पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया। वार्षिक वेतन वृद्धि. उक्त निर्देशों का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "<u>(एफडी क्रमांक 9/9/91-3 पीआर(एफडी) दिनांक 14.5.91 की प्रति)</u>
>
> मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने 1.1.1986 से लागू समयमान में एक अतिरिक्त वेतन 10वीं और दूसरी 20वीं वर्ष की वृद्धि देने का निर्णय लिया है।

---

[1]2008 (4) एससीटी 427

समूह 'सी' और 'डी' के सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि के अलावा।

1(i) 10वें वर्ष बिंदु का अर्थ वह तारीख है जिस दिन एक कर्मचारी अपने वेतनमान के 11वें चरण पर पहुंचता है (मान लें कि 10 वेतन वृद्धि अर्जित करने के बाद)। जो कर्मचारी 1.1.91 को या उससे पहले ऐसे चरण में पहुंच गया है उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी 1.1.91 को.

(ii) 20वें वर्ष बिंदु का अर्थ वह तिथि है जिस दिन एक कर्मचारी अपने वेतनमान के 22वें चरण पर पहुंचता है (अर्थात 20 नियमित वेतन वृद्धि अर्जित करने के बाद और अतिरिक्त वेतन वृद्धि पर)।

(iii) ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने 1.1.1991 से पहले अपने उपरोक्त वेतनमान का 21वाँ बिंदु पार कर लिया है, उन्हें 1.1.1991 को केवल एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी।

(iv) यदि 10वें और 20वें वर्ष की अतिरिक्त वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी का वेतन दक्षता बार से परे स्तर तक पहुंच जाता है, तो लाभ इस शर्त के अधीन होगा कि वह दक्षता बार को मंजूरी दे देता है।

(v) अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ वेतनमान में उपलब्ध होगा, न कि इस पत्र के पैरा 4(3) के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए अधिकतम वेतनमान से परे के स्तर पर।"

(7) इसके बाद, उपरोक्त योजना को आगे संशोधित किया गया सरकारी निर्देश दिनांकित7 अगस्त 1992 . उक्त योजना के तहत 10/20 वर्ष की सेवा के स्थान पर 8/18 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने का निर्णय लिया गया। निर्देश इस प्रकार हैं:

"(एफडीएचआर.सं. 1/13 8/92-1(एफडी) दिनांक 7.8.92 की प्रति)

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 9/9/91-3पीआर(एफडी), दिनांक 14.5.1991 की ओर आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र संख्या 9/9/91/3पीआर(एफडी)), दिनांक 9.4.1992 के साथ पढ़ें और यह कहना है कि कर्मचारियों की लगातार मांग पर विषय के रूप में उद्धृत योजना के संशोधन के संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने इस योजना को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:

(मैं)अब ग्रुप-'सी' और 'डी' के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पूरा होने पर मिलेगा

8 और 18 साल की**नियमित संतोषजनक सेवा**एक विशेष समूह में . पहली अतिरिक्त वेतन वृद्धि 8 साल की सेवा के बाद और दूसरी 18 साल की सेवा के बाद दी जाएगी।

(ii) यदि देय तिथि महीने के पहले दिन के बाद आती है तो ऐसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का अनुदान अगले महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा।

(iii) समूह 'सी' या 'डी' के लिए सेवा की गिनती के प्रयोजन के लिए किसी विशेष समूह में प्रदान की गई पूरी सेवा को निर्धारित सेवा अवधि के रूप में गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, क्लर्क, सहायक और उपाधीक्षक आदि के रूप में की गई सेवा समूह 'सी' में गिनी जाएगी और चपरासी, दफ्तरी, जमादार आदि के रूप में प्रदान की गई सेवा समूह 'डी' में गिनी जाएगी।

(iv) जो कर्मचारी पुरानी योजना के तहत पहले ही दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उठा चुके हैं, वे नई योजना के तहत किसी भी वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। यदि किसी कर्मचारी को पुरानी योजना के तहत केवल एक वेतन वृद्धि मिली थी, तो वह किसी विशेष समूह में 18 साल की सेवा पूरी करने पर निर्धारित तिथि या बाद की तारीख, जैसा भी मामला हो, से दी जाने वाली दूसरी वेतन वृद्धि का हकदार होगा। होना।

(v)यदि पुरानी योजना के तहत अतिरिक्त वेतन वृद्धि 1.7.92 से पहले देय हो गई है, तो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पुरानी योजना के तहत दिया जाएगा।

(vi) इन निर्देशों के जारी होने से पहले पुरानी योजना के तहत तय किए गए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

(vii) समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के लिए ओपन-एंडेड स्केल से संबंधित मौजूदा प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(viii) सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

(ix) नई योजना इसी दिन से लागू होगी 1.7.1992।"

पुन: उच्च मानक पैमाना।

(8) राज्य सरकार ने एक और योजना शुरू की अधिसूचना दिनांक 8 फ़रवरी 1994, जो 1 जनवरी 1994 से प्रभावी है। उच्च मानक स्केल योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना के तहत, यह था

नियमित सेवा के 10/20 वर्ष पूरे होने पर उच्च मानक वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। 8 फरवरी 1994 के परिपत्र में निहित निर्देश इस प्रकार हैं:

"(i) समूह 'सी' या 'डी' श्रेणी का प्रत्येक कर्मचारी जिसे अपने सेवा करियर में कोई पदोन्नति या पदोन्नति वेतनमान/उच्च समय वेतनमान/चयन ग्रेड नहीं मिला है और उसने बीस वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है।**नियमित संतोषजनक सेवा**1.1.1994 से पहले के वेतनमान को उनके वर्तमान वेतनमान के स्थान पर 1.1.1986 से लागू पद के वेतनमान के संबंध में संलग्न अनुबंध के कॉलम 4 में निर्दिष्ट दूसरा उच्च मानक वेतनमान 1.1.1994 से अनुमति दी जाएगी। एक कर्मचारी जो ऐसा पूरा करता है**नियमित संतोषजनक सेवा**1.1.1994 के बाद बीस वर्ष का है और उसे अपने सेवा कैरियर में कोई पदोन्नति या पदोन्नति वेतनमान/उच्च समय वेतनमान/चयन ग्रेड नहीं मिला है, उसे उस महीने के पहले दिन से उपरोक्त दूसरे उच्च मानक वेतनमान की अनुमति दी जाएगी, जिस महीने में वह इसे पूरा करता है। सेवा।

(ii) समूह 'सी' या 'डी' श्रेणी का प्रत्येक कर्मचारी जिसे अपने सेवा कैरियर में कोई पदोन्नति या पदोन्नति वेतनमान/उच्च समय वेतनमान/चयन ग्रेड नहीं मिला है और जिसने दस वर्ष या उससे अधिक लेकिन बीस वर्ष से कम सेवा पूरी कर ली है। **नियमित संतोषजनक सेवा** 1.1.1994 से पहले के वेतनमान को उनके वर्तमान वेतनमान के स्थान पर 1.1.1986 से लागू पद के वेतनमान के संबंध में संलग्न अनुबंध के कॉलम 3 में निर्दिष्ट प्रथम उच्च मानक वेतनमान 1.1.1994 से अनुमति दी जाएगी। एक कर्मचारी जो ऐसा पूरा करता है**नियमित संतोषजनक सेवा**1.1.1994 के बाद दस वर्ष की आयु और उसे अपने सेवा कैरियर में कोई पदोन्नति या पदोन्नति वेतनमान/उच्च समय वेतनमान/चयन ग्रेड नहीं मिला है, उसे उस महीने के पहले दिन से उपरोक्त प्रथम उच्च मानक वेतनमान की अनुमति दी जाएगी जिस महीने में वह इसे पूरा करता है। सेवा।

(iii) समूह 'सी' या 'डी' श्रेणी का प्रत्येक कर्मचारी जिसने बीस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी कर ली हो**नियमित संतोषजनक सेवा** 1.1.1994 से पहले, लेकिन अपने सेवा कैरियर में केवल एक पदोन्नति या पदोन्नति वेतनमान/उच्च समय वेतनमान/चयन ग्रेड प्राप्त किया है, उन्हें 1.1.1994 से उनके वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कॉलम 3 में निर्दिष्ट पहला उच्च मानक वेतनमान की अनुमति दी जाएगी। संलग्न परिशिष्ट के साथ

पद के वेतनमान के संबंध में पहली जनवरी 1986 से लागू। पूरा करने वाला कर्मचारी**ऐसी नियमित संतोषजनक सेवा**1.1.1994 के बाद बीस वर्ष की आयु तक, लेकिन उसे अपने सेवा कैरियर में केवल एक पदोन्नति या पदोन्नति वेतनमान/उच्च समय वेतनमान/चयन ग्रेड/ उच्च मानक वेतनमान मिला है, उसे उपरोक्त प्रथम उच्च मानक वेतनमान अगले महीने के पहले दिन से प्रभावी होने की अनुमति दी जाएगी। वह महीना जिसमें वह ऐसी सेवा पूरी करता है।"

3. इन निर्देशों के तहत दिया जाने वाला उच्चतम मानक वेतनमान रु. 2000-60-2300-75- 2900-ईबी-100- 3500.

4. जो कर्मचारी पदोन्नति छोड़ देता है या अपने अनुरोध पर निचले पद पर वापसी चाहता है, वह इन निर्देशों के तहत उच्च मानक वेतनमान के लाभ के लिए खुद को अयोग्य बना लेगा।

5. यदि किसी कर्मचारी को पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है, लेकिन पदोन्नति पद का वेतनमान फीडर पद के वेतनमान के बराबर या उससे कम है, तो ऐसे मामलों में उच्च मानक वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

6.'**नियमित संतोषजनक सेवा**'पुनर्गठन से पहले हरियाणा सरकार या पूर्ववर्ती पंजाब सरकार के तहत वास्तविक निरंतर सेवा का मतलब है **नियमित आधार पर**वर्तमान कैडर में एक ही समूह में गिना जाएगा और पदोन्नति मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति के लिए फिट आंका जाएगा। एक ही विभाग के अंतर्गत संबंधित संवर्ग पर अंतर-जिला स्थानांतरण तथा एक ही संवर्ग में समान वेतनमान वाले विभिन्न पदों पर कर्मचारी की सेवा को इन निर्देशों के संबंध में निरंतर सेवा के रूप में माना जाएगा। असंतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के कारण उच्च मानक वेतनमान न दिए जाने को सजा एवं अपील नियमों के तहत सजा नहीं माना जाएगा।

7. ये निर्देश यूजीसी वेतनमान द्वारा शासित कर्मचारियों को कवर नहीं करते हैं।

8. यदि किसी कर्मचारी को मौजूदा वेतनमान उसके लिए फायदेमंद लगता है, तो वह उस वेतनमान को बरकरार रख सकता है, बशर्ते कि वह दो महीने की अवधि के भीतर अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से ऐसा करने का लिखित विकल्प दे, जिसे सेवा में रखा जाएगा। कर्मचारी की पुस्तक के बाद

नियुक्ति प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

9. यदि किसी पद के समयमान और चयन ग्रेड को एक साथ जोड़ दिया गया है और 1.1.1986 से प्रभावी एक एकल संशोधित वेतनमान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो उच्च मानक वेतनमान देने के लिए पूर्वगामी पैराग्राफ में लगाए गए चयन ग्रेड का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आवेदन करना।

10. वेतन निर्धारण: इन निर्देशों के तहत उच्च मानक वेतनमान दिए जाने पर, उच्च मानक वेतनमान में कर्मचारी का वेतन उसके वर्तमान वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त वेतन के अगले चरण और अगली वेतन वृद्धि की तारीख पर तय किया जाएगा। सामान्य अवधि के पूरा होने पर होगा. हालाँकि, यदि वेतन एक बार रुपये के वेतनमान में तय हो जाता है। 2000-3500 तक इसे दोबारा उसी वेतनमान में तय नहीं किया जाएगा।

"वेतन" का अर्थ पंजाब सिविल सेवा नियम खंड I भाग I (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू) के नियम 2.44(ए)(i) में परिभाषित वेतन है।

11. किसी कर्मचारी द्वारा वर्तमान वेतनमान में वर्तमान पद पर लिया जा रहा विशेष वेतन, यदि कोई हो, एक अलग तत्व के रूप में तब तक लिया जाता रहेगा, जब तक वह विशेष वेतन वाले पद पर है।

12.चूंकि इन निर्देशों के तहत उच्च मानक वेतनमान प्रदान किया जाता है**ठहराव के लिए मुआवजा और इसलिए उच्च जिम्मेदारियों को शामिल किए बिना सेवा की लंबाई पर आधारित है**, इसे एक आकस्मिक परिस्थिति माना जाएगा और केवल पदानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर किसी वरिष्ठ को वेतन वृद्धि का कोई लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

13. समूह 'सी' और 'डी' श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ओपन-एंडेड वेतनमान से संबंधित मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।

14.1.1.1994 से पहले किसी कर्मचारी को 8 और 18 साल की सेवा पूरी करने पर या 10वें और 20वें साल के वेतनमान बिंदु पर पहले के निर्देशों के अनुसार दी गई अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ वापस नहीं लिया जाएगा।

15.ये निर्देश 1.1.1994 से प्रभावी होंगे।

16.इस पत्र की विषय-वस्तु को आपके नियंत्रण में आने वाले सभी लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।

17.कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाए।"

पुन: सुनिश्चित कैरियर प्रगति पैमाने।

(9) इसके बाद, वर्ग 'सी' को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना 'डी' कर्मचारी, हरियाणा राज्य ने अधिसूचना संख्या जीएसआर4/कॉन्स्ट./अनुच्छेद 309/98 दिनांक 7 जनवरी, 1998 के तहत हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 1998 जारी किए। नियम 1, 3 (बी) और 5 वे नियम इस प्रकार पढ़ें:

"**1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और उद्देश्य**:- (1) इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम 1998 कहा जा सकता है।

2. इन्हें जनवरी, 1996 के पहले दिन से लागू माना जाएगा, जब तक कि सरकार द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

3. इन नियमों का उद्देश्य ऐसे सरकारी सेवकों को, जो इन नियमों के दायरे में आते हैं, कार्यात्मक पदोन्नति के परिणामस्वरूप प्राप्त वित्तीय उन्नयन, यदि कोई हो, सहित कम से कम दो वित्तीय उन्नयन प्रदान करना है। उसके पूरे करियर के दौरान सेवा की संबंधित निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि इन नियमों के तहत या समय-समय पर सरकार द्वारा इन नियमो के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है, उस पद के कार्यात्मक वेतनमान के संदर्भ में जिस पर वह सरकारी सेवा में शामिल हुआ था। के तौर पर**सीधी भर्ती से नये प्रवेशकर्ता**.

xx xx

3. परिभाषाएँ:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(बी)**"सीधी भर्ती से नये प्रवेशकर्ता"**किसी पद या सरकारी सेवक के संदर्भ में उस पद से अभिप्राय है जिस पर ऐसे सरकारी सेवक को भर्ती किया गया था**नियमित एवं सीधी भर्ती**सरकारी सेवा में है और ऐसी भर्ती के बाद से लगातार सरकार के रोजगार में है;

xx

5. एसीपी वेतनमान प्रदान करने की पात्रता:- (1) प्रत्येक

सरकारी सेवक, जो न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए नियमित रूप से संतोषजनक सेवा के बाद, यदि इन नियमों में या सरकार द्वारा समय-समय पर किसी भी वर्ग या श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए न्यूनतम अवधि अन्यथा 10 वर्ष से भिन्न निर्धारित नहीं की जाती है। समय, 31.12.1995 को पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान से अधिक वेतनमान के अनुदान के संदर्भ में कोई वित्तीय उन्नयन नहीं मिला है, जिस पर उन्हें एक के रूप में भर्ती किया गया था **सीधी भर्ती से नये प्रवेशकर्ता**:-

(ए) या तो पदानुक्रम में उसकी कार्यात्मक पदोन्नति के परिणामस्वरूप, या

(बी) समान पद के लिए वेतनमान के संशोधन के परिणामस्वरूप, या

(सी) किसी अन्य घटना के परिणामस्वरूप, जिसके माध्यम से पद के कार्यात्मक वेतनमान को अपग्रेड किया गया है, 31.12.1995 को पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान के संबंध में, वेतन आहरण के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। उसके संदर्भ में प्रथम एसीपी स्केल में नियुक्ति के लिए पात्र।

(2) प्रत्येक सरकारी सेवक, जो न्यूनतम 20 वर्षों की नियमित संतोषजनक सेवा के बाद, इन नियमों में या सरकार द्वारा सरकार के किसी भी वर्ग या श्रेणियों के लिए न्यूनतम अवधि 20 वर्ष से भिन्न होने के लिए अन्यथा निर्धारित नहीं है। समय-समय पर सेवक को 31.12.1995 को उस पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान से अधिक वेतनमान देने के संदर्भ में एक से अधिक वित्तीय उन्नयन नहीं मिला है, जिस पर उसे एक के रूप में भर्ती किया गया था।**सीधी भर्ती से नये प्रवेशकर्ता**:-

(ए) या तो पदानुक्रम में उसकी कार्यात्मक पदोन्नति के परिणामस्वरूप, या

(बी) समान पद के लिए वेतनमान के संशोधन के परिणामस्वरूप, या

(सी) किसी अन्य घटना के परिणामस्वरूप, जिसके माध्यम से पद के कार्यात्मक वेतनमान को अपग्रेड किया गया है, 31.12.1995 को पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान के संबंध में, वेतन आहरण के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। उसके संदर्भ में दूसरे एसीपी स्केल में नियुक्ति के लिए पात्र;

बशर्ते कि एसीपी स्केल का अनुदान भी इस नियम के प्रयोजनों के लिए वित्तीय उन्नयन माना जाएगा।

टिप्पणी: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "नियमित संतोषजनक सेवा" का अर्थ हरियाणा सरकार के तहत वरिष्ठता की गिनती में निरंतर सेवा होगी, जिसमें पुनर्गठन से पहले पंजाब सरकार में निरंतर सेवा भी शामिल है, जिस तारीख से सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा में शामिल हुआ था। **नियमित भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया अथवा नियम आदि के माध्यम से भर्ती किया जाना,**जिस कैडर में वह काम कर रहा है उस समय इन नियमों के तहत एसीपी वेतनमान देने के लिए उसकी पात्रता पर विचार किया जा रहा है और आगे एसीपी वेतनमान देने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण: एसीपी स्केल उन्नयन तभी लागू होगा जब ऊपर निर्दिष्ट समान पद के लिए कार्यात्मक पदोन्नति या स्केल के उन्नयन के कारण, सरकारी कर्मचारी को 10 साल की निर्धारित अवधि के भीतर कम से कम एक वेतनमान उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो। प्रथम एसीपी स्केल या दो ऐसे वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए 20 साल की अवधि के भीतर या दूसरे एसीपी स्केल के अनुदान के लिए अन्यथा निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अन्य निर्धारित अवधि। यदि 10 वर्षों की सेवा के भीतर या प्रथम एसीपी के अनुदान के लिए सेवा की निर्धारित अवधि के भीतर, कर्मचारी को पहले ही कम से कम एक वित्तीय उन्नयन मिल चुका है या 20 वर्षों की सेवा के भीतर, जैसा भी मामला हो, या अन्यथा सेवा की निर्धारित अवधि प्राप्त हो गई है। दूसरे एसीपी स्केल का अनुदान, सरकारी कर्मचारी को पहले से ही कम से कम दो वित्तीय उन्नयन मिल चुके हैं, इन नियमों का लाभ ऐसे कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा सिवाय इसके कि इन नियमों में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(3) एसीपी वेतनमान के अनुदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए सरकारी सेवक को निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करनी होंगी:-

(ए) एसीपी वेतनमान के अनुदान के लिए पात्रता के लिए संबंधित निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी को अपने कैडर में कार्यात्मक पदानुक्रम में अगले उच्च पद पर पदोन्नत होने के लिए उपयुक्त होना चाहिए, लेकिन रिक्ति की कमी के कारण कार्यात्मक रूप से पदोन्नत नहीं किया जा सका। पदानुक्रम में पदोन्नति पद पर जिसके लिए वह पात्र है

पदोन्नत होना;

(बी) यदि ऐसी पदोन्नति में किसी विभागीय पद की परीक्षा या अन्य परीक्षा आदि शामिल हो तो ऐसी शर्त भी ऐसे सरकारी सेवक को पूरी करनी होगी।

(4) एसीपी वेतनमान प्रदान करने की पात्रता समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य प्रतिबंध के अधीन होगी, जिसमें प्रतिशत के संदर्भ में संबंधित एसीपी वेतनमान दिए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या का प्रतिबंध भी शामिल है। संवर्ग में पदों की संख्या जिन तक ऐसी एसीपी नियुक्तियाँ सीमित होंगी;

बशर्ते कि जब तक सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए जाते -

(ए) नियम 4 के उप-नियम (2) में शामिल सरकारी सेवकों के संदर्भ में प्रथम या द्वितीय एसीपी वेतनमान प्रदान किए जाने वाले सरकारी सेवकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(बी) उपनियम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए

नियम 4 के (1) प्रथम एसीपी वेतनमान के अनुदान के लिए सरकारी सेवकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालाँकि, नियम 4 के उप-नियम (1) में शामिल ऐसे सरकारी सेवकों के लिए दूसरे एसीपी स्केल का अनुदान कैडर में कुल पदों के 20% तक सीमित होगा।

(10) डिवीजन बेंच ने फैसले पर भरोसा किया सुप्रीम कोर्ट में ***हरियाणा राज्य****बनाम****हरियाणा पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन और अन्य***[2]और यह माना गया कि कर्मचारी उच्च वेतनमान/एसीपी वेतनमान के अनुदान के प्रयोजन के लिए तदर्थ सेवा की गणना करने के हकदार नहीं हैं। 1997 की सिविल अपील संख्या 5740-5741 में पारित 31 अक्टूबर 2000 के निर्णय के मद्देनजर दूसरे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया।***हरियाणा राज्य*** *बनाम****रविंदर कुमार और अन्य***और अन्य संबंधित मामले, यह मानने के लिए कि कर्मचारी 10/20 साल की सेवा या 8/18 साल की सेवा पूरी करने के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि के प्रयोजन के लिए तदर्थ/कार्य-प्रभारित सेवा की गणना करने के हकदार हैं। रविंदर कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश पारित किया, राज्य के वकील ने मामले को स्वीकार किया: -

> "मामलों के इन बैच को उसी राज्य से अपीलों के एक अन्य बैच की सुनवाई करते समय अलग कर दिया गया था, जो थे

[2]2000 (4) एससीटी 664

दिनांक 19-9-2000 के निर्णय द्वारा हमारे द्वारा निस्तारित।

2.राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने माना कि इन मामलों में हम उन कर्मचारियों से चिंतित हैं, जिन्हें शुरू में वर्क-चार्ज के आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें नियमित कर सेवा के कैडर में लाया गया था। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि यह अवधि, जो कर्मचारियों ने कार्य-प्रभार के आधार पर प्रदान की है, कैडर में वृद्धि के साथ-साथ पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गिना जाता है। इसलिए, हमें सरकारी परिपत्र के अनुसार उच्च वेतनमान प्राप्त करने के लिए 8 और 18 साल की सेवा के साथ-साथ 10 और 20 साल की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के उद्देश्य से उनकी अवधि की गणना न करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है, जो स्पष्ट रूप से है। एक विशेष ग्रेड में ठहराव से बचने का इरादा है। मामले को ध्यान में रखते हुए, हमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में अपने हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं दिखता। तदनुसार, ये अपीलें और एसएलपी खारिज की जाती हैं।"

(11) हालाँकि, वरिष्ठता के मुद्दे पर कोई चर्चा किए बिना, डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग का भी उत्तर देते हुए कहा कि नियमित सेवा के बाद तदर्थ सेवा/कार्य-प्रभारित सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। ये अवलोकन ओबीटर डिक्टा हैं।

(12)हरियाणा में घोषित कानून के बीच की अवधि के दौरान पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन और हनुमंत सिंह मामलों में, इस बिंदु पर कानून बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले दिए गए हैं, अर्थात्, ***पंजाब राज्य और अन्य****बनाम* ***हरजिंदर कौर और अन्य,***1998 की सिविल अपील संख्या 6525 पर 20 फरवरी 2001 को निर्णय लिया गया; ***पंजाब राज्य और अन्य****बनाम****ईशर सिंह व अन्य***[3]और ***पंजाब राज्य और अन्य***बनाम***गुरदीप कुमार उप्पल और अन्य***[4]और इस न्यायालय की विभिन्न खंडपीठों ने मामलों में सुनवाई की ***भरत सिंह****बनाम****हरियाणा राज्य***[5]; ***बादल सिंह एवं अन्य****बनाम****हरियाणा राज्य और अन्य***[6]और ***पंजाब***

[3]2002(1) एससीटी 72 : 2002 (10) एससीसी 674
[4]2003(11) एससीसी 732
[5]2002(4) एससीटी 432
[6]2007(1) एससीटी 649

राज्य ट्यूबवेल निगम कर्मचारी संघ*बनाम****पंजाब राज्य***[7], जो कि फैसले पर निर्भर था***हरियाणा राज्य****बनाम****हरियाणा पशुचिकित्सा एवं एएचटीएस एसोसिएशन***(सुप्रा); ***विनोद कुमार गुप्ता***बनाम ***हरियाणा राज्य***[8]जो फैसले पर निर्भर था ***सीधी भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग अधिकारी एसोसिएशन****बनाम****महाराष्ट्र राज्य***[9]और यह माना गया कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई कार्य प्रभार/तदर्थ सेवा को संशोधित वेतनमान, वरिष्ठ/चयन ग्रेड, दक्षता स्टेप-अप, एसीपी स्केल और वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से उनकी नियमित सेवा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। हालाँकि, एक और डिवीजन बेंच में ***वरिंदर कुमार****बनाम****हरियाणा राज्य***[10] 10/20 या 8/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि और उच्च मानक वेतनमान देने के लिए कार्यभारित सेवा को 'नियमित सेवा' में गिनने के याचिकाकर्ताओं के दावे को स्वीकार कर लिया। राज्य द्वारा उठाया गया तर्क कि रविंदर कुमार के मामले में निर्णय अनुचित है क्योंकि इसने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया कि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को न तो नियमित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और न ही वे नियमित कैडर के हिस्से से हैं, बल्कि वे एक अलग कोड द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हरियाणा और एएचटीएस वेटरनरी एसोसिएशन के फैसले को इस आधार पर अलग किया गया था कि उक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उक्त वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए नियमित सेवा की ओर तदर्थ सेवा की गिनती और कार्य-प्रभारित मामलों से संबंधित मुद्दे को जब्त कर लिया था। सेवा को अलग कर दिया गया और रविंदर कुमार के मामले में निर्णय लिया गया और हरियाणा राज्य द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। वरिंदर कुमार के मामले में फैसले का अन्य डिवीजन बेंचों ने पालन किया ***सतबीर सिंह****बनाम****हरियाणा राज्य***[11], ***एस.के मल्होत्रा*** *बनाम****हरियाणा राज्य***[12]और ***सीता राम***बनाम ***हरियाणा राज्य***[13]**.**

(13) हनुमंत में डिविजन बेंच के फैसले के बाद सिंह का मामला, नियमित सेवा के निर्दिष्ट वर्षों के पूरा होने पर पदोन्नति वेतनमान और पदोन्नति वेतन वृद्धि के लिए कार्य-प्रभारित सेवा की गिनती का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। ***में पंजाब राज्य बिजली***

---

[7]2008 (5) एसएलआर 684
[8]2007(1) एससीटी 525
[9]1990 (2) एससीसी 715
[10]2002 (2) एससीटी 799
[11]2002 (2) एससीटी 354
[12]2003 (1) एससीटी 330
[13]2004 (4) एससीटी 562

तख्ता*बनाम****जगजीवन राम***[14]. उक्त मामले में डिवीजन बेंच ने पारित फैसले पर भरोसा करते हुए राहत दी थी***हरियाणा राज्य और अन्य।***बनाम***रविंदर कुमार और अन्य।(सुप्रा)।**सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों पर विचार किया***जसवन्त सिंह एवं अन्य*** *बनाम* ***भारत संघ और अन्य***[15]और***राजस्थान राज्य****बनाम* ***कुंजी रमन***[16]और यह माना गया कि उपर्युक्त निर्णयों का अनुपात यह है कि कार्य-प्रभारित कर्मचारी एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और उन्हें किसी भी अन्य श्रेणी या कर्मचारियों के वर्ग के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है, नियमित कर्मचारियों की तो बात ही छोड़ दें और इसके अलावा कार्य-प्रभारित कर्मचारी सेवा लाभ के हकदार नहीं हैं। जो नियोक्ता द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों या नीतियों के तहत नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।कोर्ट ने रविंदर कुमार के मामले में आदेश को अलग रखा और अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए बोर्ड की अपील की अनुमति दी***हरियाणा राज्य****बनाम* ***हरियाणा पशुचिकित्सा एवं एएचटीएस एसोसिएशन, पंजाब राज्य और अन्य*** *बनाम****ईशर सिंह व अन्य****और****पंजाब राज्य और अन्य****बनाम****गुरदीप कुमार उप्पल और अन्य***(सुप्रा) इस प्रकार धारण:

> "13. बोर्ड द्वारा बनाई गई योजना को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को उनके 9/16 वर्ष पूरे करने पर ही दिया जाना था।नियमित सेवा . इसी प्रकार पदोन्नति वेतन वृद्धि का लाभ 23 वर्ष पूर्ण होने पर ही दिया जा सकेगा नियमित सेवा . योजना के विभिन्न अनुच्छेदों में 'नियमित सेवा' शब्द के उपयोग से पता चलता है कि नियमित नियुक्ति के बाद किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को केवल 9/16/23 वर्ष की सेवा और अस्थायी, तदर्थ या कार्य प्रभारित सेवा की गणना के लिए गिना जा सकता है। कर्मचारी को समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान या पदोन्नति वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए नहीं गिना जा सकता। यदि बोर्ड का इरादा है कि कर्मचारियों द्वारा उनकी भर्ती के तरीके और स्थिति की परवाह किए बिना प्रदान की गई कुल सेवा को समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान या पदोन्नति वेतन वृद्धि देने के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए, तो '9/16 वर्ष की नियमित सेवा' अभिव्यक्ति का उपयोग करने के बजाय या '23 वर्ष की नियमित सेवा', संबंधित प्राधिकारी ने '9/16 वर्ष की सेवा' या '23 वर्ष की सेवा' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया होगा। . हालाँकि, मामले का तथ्य यह है कि योजना

[14]2009 (5) एसएलआर 499 : 2009 (3) एससीटी 92
[15]1979 (4)एससीसी 440
[16]1997 (1) एससीटी 497 : 1997 (2) एससीसी 517

अपने स्पष्ट शब्दों में, समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान या पदोन्नति वेतन वृद्धि, जैसा भी मामला हो, देने के लिए एक शर्त के रूप में 9/16 साल की नियमित सेवा या 23 साल की नियमित सेवा की आवश्यकता शामिल है। ऊपर उल्लिखित कारणों से, हम मानते हैं कि उत्तरदाता 9/16/23 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने से पहले की तारीख पर समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान/प्रोन्नति वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं थे और उच्च न्यायालय ने निर्देश देकर गंभीर त्रुटि की है। अपीलकर्ताओं को उनकी कार्य प्रभारित सेवा की गणना कर योजना का लाभ दिया जाए।

14. रविंदर कुमार के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से भिन्न है।उस मामले में, राज्य की ओर से पेश वकील ने माना था कि जिस अवधि के दौरान एक कर्मचारी ने कार्य प्रभार के आधार पर काम किया था, उसे वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन के लिए अर्हक सेवा की गणना के लिए गिना जाता है। उनके बयान के मद्देनजर, कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसी सेवा को 8/12 साल की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि और 10/20 साल की सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान देने के उद्देश्य से नहीं गिना जाना चाहिए। आदेश में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है कि नियमित कर्मचारियों को स्वीकार्य सेवा लाभ देने के लिए कार्य प्रभारित सेवा को नियमित सेवा के साथ बराबर या जोड़ा जा सकता है या नहीं। इसलिए, इसे कानून के किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे अन्य मामलों के लिए मिसाल के रूप में माना जा सकता है। ”

(महत्व जोड़ें)

(14) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में निर्णय था इसके बाद इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने***हरियाणा राज्य*** *बनाम****ओम प्रकाश नागरा***[17]और न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

“5. पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने और पेपर बुक का अवलोकन करने के बाद हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 उसके द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा की गणना के लाभ का हकदार है। 11.5.1970 से 25.2.1973 तक क्लर्क के रूप में। ऊपर देखी गई तथ्यात्मक स्थिति पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्लर्क के पद पर नियुक्ति केवल द्वारा ही की जा सकती थी

[17]2012(2) एससीटी 76: 2012(3) एसएलआर 714

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा न कि किसी विभागीय चयन समिति या सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार किया गया था और रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के अनुरूप थी। एक समय यह संवैधानिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य माना जाता था कि रिक्तियों को रोजगार कार्यालय को अधियाचना भेजकर भरा जाए। के मामले में ***भारत संघ***बनाम

एन. हरगोपाल,(1987) 3 एससीसी 308 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि विभाग द्वारा नामों की मांग के बाद रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए। वास्तव में, उपरोक्त दृष्टिकोण को इस मामले में लगभग खारिज कर दिया गया है***उत्पाद शुल्क अधीक्षक, मलकापट्टनम***बनाम ***विश्वेश्वर राव,*** (1996) 6 एससीसी 216।

(15) डिवीजन बेंच ने भी फैसले पर विचार किया हनुमंत सिंह का मामला. निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"11। हमारा यह भी मानना है कि हनुमंत सिंह (सुप्रा) के मामले में दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले का हमारे द्वारा तय किए गए मुद्दे पर कोई असर नहीं है।उस मामले में विद्वान डिवीजन बेंच इस धारणा पर आगे बढ़ी है कि उस मामले में डीजल पंप अटेंडेंट की नियुक्ति उचित माध्यम से और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई थी। उसी स्थिति में एसीपी का लाभ दिया गया. हालाँकि, वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एक बार जब यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स है तो इससे कोई बच नहीं सकता है कि हनुमंत सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से पालन किया गया है और वास्तव में, यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

(जोर दिया गया)

(16) में ***अमरजीत सिंह****बनाम****पंजाब राज्य***[18], एक और प्रभाग

[18]2011(4) एसएलआर 526: 2012 (1) एससीटी 701

बेंच ने पंजाब राज्य ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए एसीपी स्केल देने के लिए तदर्थ सेवा की गिनती के याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया।

(17) हनुमंत सिंह के मामले में डिविजन बेंच का फैसला

अपील के लिए विशेष अनुमति की मांग करते हुए हरियाणा राज्य द्वारा मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया। छुट्टी दे दी गई. जबकि ये विशेष अनुमति याचिकाएं 3 जनवरी, 2009 से लंबित थीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनाए गए एक अन्य फैसले में वरिष्ठता के संबंध में तदर्थ सेवा के मुद्दे पर विशेष रूप से विचार किया। ***हरियाणा राज्य और अन्य****बनाम****विजय सिंह व अन्य***[19](2008 के सीडब्लूयूपी संख्या 2409, विजय सिंह बनाम हरियाणा राज्य से उत्पन्न)। विजय सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हनुमंत सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के आदेश पर ध्यान दिया और उसमें दिए गए कानून को मंजूरी नहीं दी।जहां तक वरिष्ठता का सवाल है संबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए प्रमुख निर्णयों पर विचार किया ***सीधी भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन****बनाम****महाराष्ट्र राज्य***[20]जैसा कि बाद में बताया गया ***में पश्चिम बंगाल राज्य****बनाम****अघोर नाथ डे***[21]सीधी भर्ती श्रेणी II मामले में निर्देश 'ए' और 'बी' का समाधान। इसके बाद कोर्ट ने फैसले पर विचार किया ***एम.के.शंगुमन एवं अन्य।****बनाम****भारत संघ***[22]जिसमें उपर्युक्त दोनों निर्णयों पर विचार किया गया और यह माना गया कि यह केवल उन मामलों में है जहां शुरू में कर्मचारी की भर्ती की गई थी, भले ही उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो, जहां भर्ती उसी प्रक्रिया के अधीन थी जैसी कि की गई थी। नियमित नियुक्तियों का मामला और यह कोई स्टॉप-गैप व्यवस्था नहीं थी।

(18) विजय सिंह के मामले में भी कोर्ट ने कानून पर विचार किया

विषय पुन: वरिष्ठता में प्रतिपादित ***हरियाणा राज्य****बनाम* ***हरियाणा पशुचिकित्सा एवं एएचटीएस एसोसिएशन,***(सुप्रा) अन्य मामले के अलावा फैसले में कानून पर ध्यान दिया गया और विस्तार से चर्चा की गई और उनके आधिपत्य ने माना कि चयन के समय रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित नामों तक सीमित सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अपर्याप्त अनुपालन था। नियमों में निर्धारित नामित भर्ती प्राधिकारी, अर्थात् पूर्ववर्ती अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसे वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के रूप में जाना जाता है, से आना चाहिए।

---

[19]2012 (8) एससीसी 633

[20](1990) 2 एससीसी 715

[21](1993) 3 एससीसी 371

[22]2000 (2) एससीटी 954

राज्य लोक सेवा आयोग, जैसा भी मामला हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल इस तथ्य से कि स्थानीय रोजगार कार्यालयों को मांग भेजने से पहले तदर्थ नियुक्तियां की गईं और जिला चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां की गईं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उम्मीदवारों को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। ऐसे मामले जिनमें भर्ती और वरिष्ठता सहित सेवा की शर्तें संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून या संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती हैं, किसी भी निर्णय में निर्धारित सामान्य प्रस्तावों को प्रासंगिक वैधानिक ढांचे से परे लागू नहीं किया जा सकता है। निर्णय का पैराग्राफ 24 इस मामले के लिए प्रासंगिक है और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "24. उपर्युक्त निर्णयों में से किसी को भी कानून के प्रस्ताव के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो सेवा में नियमित नियुक्ति करने के लिए सक्षम व्यक्ति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए पूरी तरह से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है और ऐसी नियुक्ति होती है। निर्दिष्ट भर्ती एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है, वह वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए अपनी तदर्थ सेवा की गणना करने का हकदार है। इसलिए, उत्तरदाता, जिन्हें 1955 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर विभिन्न विषयों में मास्टर, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक और हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, वे कुल सेवा अवधि के आधार पर अपनी वरिष्ठता तय करने के हकदार नहीं हैं। . इसके परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि तदर्थ सेवा की गणना करके उत्तरदाताओं की वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

(19) इस बीच, एक और विशेष अनुमति याचिका दायर की गई सीता राम मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा राज्य *बनाम* हरियाणा राज्य (सुप्रा) पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2013 को फैसला सुनाया था ***हरियाणा राज्य*** *बनाम* ***सीता राम***[23]. इन अपीलों में जो प्रश्न विचाराधीन था वह यह था कि क्या कार्य प्रभार सेवा उत्तरदाताओं की सेवा को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 1998 के तहत लाभ देने के उद्देश्य से नियमित सेवा के रूप में माना जा सकता है। न्यायालय ने प्रश्न पर 1998 के नियमों के नियम 5 के आयात पर विचार किया और इसे ध्यान में रखा। मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात ***राजस्थान राज्य*** *बनाम* ***कुंजी रमन***, ***हरियाणा राज्य*** *बनाम* ***हरयाणा***

[23] 2014 (1) एससीटी 515

पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड *बनाम* ***जगजीवन राम****और****जसवन्त सिंह****बनाम****भारत संघ***कानूनी स्थिति इस प्रकार होगी; अवलोकन:-

> "17. हम दोहराते हैं कि भले ही रविंदर कुमार के मामले को फैसले के तहत तय किए गए मामलों के बैच से अलग कर दिया गया था।***हरियाणा राज्य***बनाम***हरियाणा पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन***(सुप्रा) और स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया गया था,1998 के नियमों के तहत एसीपी वेतनमान या समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान या कार्य प्रभार या तदर्थ सेवा की गणना करके अतिरिक्त वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जहां नियम/ योजना यह प्रदान करती है कि कर्मचारी ने नियमित सेवा प्रदान की होगी। विशेष अवधि। "

(20) ऊपर देखी गई सभी प्रासंगिक योजनाओं को ध्यान से पढ़ें और समयबद्ध पदोन्नति वेतन वृद्धि और पदोन्नति वेतनमान प्रदान करने वाले वैधानिक नियम और निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में पुनरुत्पादित से पता चलता है कि उक्त योजनाएं/नियम इन लाभों के लिए प्रदान करते हैं यानी अतिरिक्त वेतन वृद्धि, उच्च मानक वेतनमान, एक निर्दिष्ट के पूरा होने पर एसीपी स्केल। नियमित सेवा की अवधि. इन योजनाओं/नियमों में जो अभिव्यक्ति बार-बार आती है और उनके द्वारा बजाए जाने वाले गाने का बोझ 'नियमित संतोषजनक सेवा' या 'नियमित सेवा' की न्यूनतम आवश्यकता है। इसलिए, सरकार का इरादा है कि इन समयबद्ध पदोन्नति लाभों को प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा को बिना किसी संदेह के 'नियमित सेवा' माना जाए, न कि केवल 'सेवा' ताकि इसमें अस्थायी, तदर्थ या कार्य प्रभार शामिल हो। सेवा, और यह स्पष्ट अर्थ सेवा में स्थिरता को सुधारने के लिए रियायतों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जो प्रशासन में दक्षता के लिए स्वीकृत अभिशाप था ताकि काम करने की इच्छा बाधित न हो। एक बार जब योजना या नियम स्पष्ट रूप से 'नियमित सेवा' प्रदान करते हैं, तो लाभ कैसे काम करते हैं, इसके पाठ और संदर्भ में आवश्यकता से अधिक कोई प्रक्षेप किए बिना या व्याख्यात्मक प्रक्रियाएं शुरू किए बिना इसे उसी रूप में लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे की विस्तृत जांच की गई है***हरियाणा पशुचिकित्सा एवं एएचटीएस एसोसिएशन, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड****और****सीता राम का मामला***(सुप्रा) और इसलिए, अब पुन:-एकीकरण नहीं है। वरिष्ठता की तुलना में तदर्थ सेवा के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने विजय सिंह के मामले (सुप्रा) में भी खारिज कर दिया है और हनुमंत सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले को देखने और विचार करने के बाद इसे फिर से शुरू किया है। जैसा कि इस मुद्दे पर न्यायालय के पहले के फैसले थे।

(21) विशेष अनुमति याचिका (बाद में परिवर्तित कर दी गई हनुमंत सिंह के मामले में हरियाणा राज्य द्वारा दायर सिविल अपील) और कई मामलों को अंततः हाल ही में 10 मई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक संक्षिप्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हनुमंत सिंह मामले में सिविल अपील और अन्य संबंधित अपीलों को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है: संक्षिप्त आदेश में कहा गया है:

> "1. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना गया।
>
> 2. हमने पाया कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, सिविल अपीलें और याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।
>
> 3. आज से तीन महीने के भीतर आदेश का पालन किया जाए.''

(22) यह आदेश लीड केस यानी सिविल अपील में पारित किया गया है 2015 की संख्या 321,***हरियाणा राज्य और अन्य****बनाम****राजेंद्र कुमार एवं अन्य।*** राजेंद्र कुमार का मामला इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा तय की गई याचिकाओं के हनुमंत सिंह बैच के साथ टैग किए गए मामलों का हिस्सा था। याचिकाकर्ता तदर्थ सेवा की अवधि को नियमितीकरण पर नियमित स्थापना पर लाए जाने के बाद व्यतीत की गई अवधि के साथ जोड़ने के लिए वरिष्ठता के सवाल पर इस आदेश पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान विचाराधीन मुद्दों में से एक से संबंधित अपने उपर्युक्त निर्णयों की वरिष्ठता के मुद्दे पर आकर्षित नहीं किया गया था, जबकि वकील को उन्हें विस्तार से संदर्भित करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने जमीन को कवर किया था। और अतिरिक्त वेतन वृद्धि और वरिष्ठता के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की उचित सहायता की। यह दोहराया जा सकता है कि हनुमंत सिंह मामले में इस न्यायालय ने प्रश्न (1) (उपरोक्त) पर याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था और उत्तर मान्य है। हालाँकि, वरिष्ठता के प्रश्न पर, हालाँकि, इस बिंदु पर हनुमंत सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले में कोई चर्चा नहीं है और यह निर्णय, बहुत सम्मान के साथ, गलत प्रतीत होता है। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वरिष्ठता के मुद्दे पर राज्य की अपील को खारिज करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान याचिकाकर्ता विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, जो तदर्थ/कार्य-प्रभारित/अस्थायी सेवा में जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उन्हें नियमित से अधिक चुपचाप मार्च करने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे भर्तीकर्ता जो अदालत के समक्ष पक्षकार नहीं हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी वरिष्ठता के मामले में और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना प्रभावित होने की संभावना है। और इस आधार पर वे याचिकाएँ जिनमें निजी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ख़ारिज किये जाने योग्य हैं।

(23) फिर भी कानून की स्थिति यह है कि जो आदेश पारित किये गये हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत पारित किए गए से भिन्न हैं। किसी मामले, मामले या कारण में ईश्वर के समक्ष दो चरण होते हैं। पहला एसएलपी चरण है। इस स्तर पर, अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका पर सुनवाई करते समय, सर्वोच्च न्यायालय को यह देखने के लिए कहा जाता है कि अपीलकर्ता को विशेष अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ऐसी याचिका पर सुनवाई करते समय, सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा है; यह केवल अपील की अनुमति देने या न देने के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया गया है ***कुन्हायमद और अन्य****बनाम****केरल राज्य एवं अन्य.***[24]निम्नानुसार:-

> "41. एक बार विशेष अनुमति याचिका मंजूर हो जाने के बाद, इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दरवाजे खुल गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आदेश बन जाता है। उसके बाद पारित कोई भी आदेश एक अपीलीय आदेश होगा और विलय के सिद्धांत की प्रयोज्यता को आकर्षित करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आदेश उलटने का है या संशोधन का है या जिस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की गई है उसे पुष्ट करने वाला ख़ारिज करने का है। आदेश बोलने वाला हो या न बोलने वाला, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी इस न्यायालय ने अपने सामने रखे गए आदेश की खूबियों पर अपना दिमाग लगाने की इच्छा महसूस की है, भले ही वह उसी की पुष्टि करने के लिए इच्छुक हो, इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने और उसके बाद अपील को खारिज करने की प्रथा है (और) न केवल विशेष अनुमति के लिए याचिका) हालांकि कई बार अपील की अनुमति देने और अपील को खारिज करने के आदेश एक ही आदेश में निहित होते हैं और कई बार आदेश काफी संक्षिप्त होते हैं। फिर भी, आदेश अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को दर्शाता है और इसमें लागू आदेश की योग्यता इस न्यायालय की न्यायिक जांच के अधीन है।

(24) सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त में संक्षेप में बताया निर्णय यह है कि पहले चरण में, याचिकाकर्ता प्रवेश द्वार के बाहर है। यदि अपील की इजाजत देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी जाती है, तो यह अदालत की राय की अभिव्यक्ति है कि अदालत के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू करने का मामला नहीं बनता है। हालाँकि, दूसरे में

---

[24]2000 (6) एससीसी 359

चरण, यदि अपील की अनुमति दी जाती है, तो अदालत का अपीलीय क्षेत्राधिकार लागू हो जाता है; अपीलीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक द्वार खोला गया है। याचिकाकर्ता अंदर है और प्रतिवादी को आमने-सामने बुलाया जा सकता है, हालांकि एक उपयुक्त मामले में अपील की अनुमति देने के बावजूद, अदालत उत्तरदाताओं को ध्यान दिए बिना अपील को खारिज कर सकती है। में विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना*आरम्भ*एक गैर-बोलने वाला आदेश किसी भी निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराता है कि आवश्यक निहितार्थ से, मामले की योग्यता पर एसएलपी में उठाए गए विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और याचिका की इस तरह की अस्वीकृति पार्टी को उच्च में जाने से नहीं रोकेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत मांगने या समीक्षा के लिए न्यायालय। जब छुट्टी दी जाती है और याचिका को अपील में बदल दिया जाता है तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। बिना किसी कारण या विस्तृत कारण के भी गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा छुट्टी देने के बाद अपील को खारिज करना 'विलय' के सिद्धांत को आकर्षित करता है जिसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है जहां से अपील उत्पन्न हुई है।

(25) में ***मेडले फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड****बनाम****सीसीई***[25], द
सर्वोच्च ने निम्नानुसार अवलोकन किया:-

> "8. अलग-अलग विचार तब लागू होते हैं जब संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका को केवल 'खारिज' कहकर खारिज कर दिया जाता है और अनुच्छेद 133 के तहत प्रदान की गई अपील को 'अपील खारिज कर दी जाती है' शब्दों के साथ भी खारिज कर दिया जाता है। पूर्व मामले में इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जब एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है तो यह न्यायालय उस आदेश की शुद्धता या अन्यथा पर टिप्पणी नहीं करता है जिससे अपील की अनुमति मांगी जाती है। लेकिन न्यायालय का तात्पर्य यह है कि वह इसे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता है। यह निश्चित रूप से तब नहीं हो सकता जब किसी अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। यहाँ विलय का सिद्धांत लागू होता है। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखता है जहां से अनुच्छेद 133 के खंड (3) के तहत अपील प्रदान की जाती है। विलय का यह सिद्धांत विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के मामले में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 136 के तहत।"

(26) 10 को अपील ख़ारिज होने के साथवांमई, 2018 में
राजेंद्र कुमार का मामला, उच्च न्यायालय का आदेश और निर्णय

[25]2011(2) एससीसी 601

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ विलय कर दिया गया है *रेस ज्युडिकाटा इंटर से* पार्टियों और इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश के कानून के समान होगा। हरियाणा राज्य सिविल अपीलों में उत्तरदाताओं का सम्मान करने वाले आदेश से बंधा हुआ है, भले ही आदेश निरर्थक हों। हालाँकि, वर्तमान याचिकाकर्ता उन कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। राजेंद्र कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हरबंस सिंह के मामले में डिवीजन बेंच का दृष्टिकोण इस बिंदु पर था कि नियमित सेवा के बाद तदर्थ/कार्य-प्रभारित सेवा को उच्च मानक वेतन के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा। निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर एसीपी योजना का पैमाना और लाभ नकारात्मक रहा है, और इसलिए, यह वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ है। पेंशन के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पास तदर्थ/कार्य-प्रभारित सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़ने का अधिकार मौजूद है। हालाँकि, अतिरिक्त वेतन वृद्धि और वरिष्ठता के मामले में एक कठिनाई उत्पन्न होती है। जहां तक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ***हरियाणा राज्य*** *बनाम* ***रविंदर सिंह*** सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसले में अपनाए गए अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग किया गया है *जगजीवन राम का* मामला विपरीत दृष्टिकोण अपना रहा है। जगजीवन राम का मामला सर्वोच्च न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की एक खंडपीठ द्वारा सुनाया गया था, और हालांकि यह पंजाब का मामला था, लेकिन हरियाणा सरकार की नीति में संशोधन हुआ था क्योंकि अतिरिक्त वेतन वृद्धि के अधिकार के लिए अनुदान के लिए "नियमित संतोषजनक सेवा" की अभिव्यक्ति शुरू की गई थी। 10/20 वर्ष की सेवा के बजाय 8/18 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि से अधिक अतिरिक्त वेतन वृद्धि। डिवीजन बेंच में *हनुमंत सिंह का* मामले में आदेश लागू किया गया ***हरियाणा राज्य*** *बनाम* ***रविंदर सिंह*** जिसमें अलग पहचान बनाई गई है *जगजीवन राम का* मामला। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में अनुदान के प्रावधान हैं *पैरी मटेरिया* और उस पर वही न्यायिक मोहर लगनी चाहिए।

(27) में ***हरपाल सिंह व अन्य*** *बनाम* ***हरियाणा राज्य***, (एलपीए 2016 की संख्या 1743 और संबंधित अपीलें) 14 को निर्णय लिया गयावांसितंबर, 2016: लॉ फाइंडर Doc.ID 903306, डिवीजन बेंच ने स्थान के संबंध में विषय पर मौजूदा कानून से निम्नलिखित सिद्धांतों को हटा दिया *अनौपचारिक* कैडर में वरिष्ठता के साथ इसके संबंध में सेवा निम्नानुसार है: -

> "15...
>
> (ए) जहां तदर्थ नियुक्ति किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा की गई थी जो नियमों के तहत ऐसी नियुक्ति करने के लिए अधिकृत नहीं है, ऐसी तदर्थ सेवा की गणना नहीं की जा सकती है

वरिष्ठता का निर्धारण;

(बी) भले ही तदर्थ नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हो, लेकिन यदि ऐसी नियुक्ति नियमों के तहत निर्धारित भर्ती एजेंसी की सिफारिशों पर नहीं की गई है, तो वरिष्ठता के लिए तदर्थ सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है;

(सी) जहां वैधानिक नियम स्पष्ट रूप से नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वरिष्ठता के लिए तदर्थ सेवा का लाभ देते हैं, वहां वरिष्ठता नियमों के प्रावधानों के अनुसार तय की जानी है;

(डी) जहां तदर्थ नियुक्त व्यक्ति को बाद में लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग/बोर्ड द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए चुना गया है, ऐसा नियुक्त व्यक्ति उपरोक्त श्रेणी (सी) को छोड़कर वरिष्ठता के लिए तदर्थ सेवा का लाभ नहीं मांग सकता है और ऐसे मामले में उसका वरिष्ठता योग्यता सूची में उसके स्थान के अनुसार तय की जानी है। दूसरे शब्दों में, वह केवल पिछली तदर्थ सेवा के बल पर योग्यता में उच्चतर उम्मीदवारों से आगे नहीं बढ़ सकता;

(ई) जहां सरकारी नीति के तहत तदर्थ सेवाओं को नियमित किया जाता है, ऐसी अधिसूचना में निहित शर्तें पूरी ताकत से लागू होंगी। हरियाणा राज्य ने समय-समय पर अधिसूचित विभिन्न नीति-निर्णयों के माध्यम से तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया है और ऐसी प्रत्येक नीति उस तारीख को निर्दिष्ट करती है जब तदर्थ नियुक्त व्यक्ति को नियमित स्थापना पर लाया जाता है। इसलिए नियमितीकरण से पहले ऐसे तदर्थ नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा को वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जा सकता है, हालांकि यह पेंशन आदि जैसे अन्य आकस्मिक सेवा लाभों के लिए गिना जा सकता है।

(एफ) इसलिए, ऐसी स्थिति में, विचार के लिए एक पेचीदा सवाल उठता है यानी जब सुप्रीम कोर्ट की दो समान पीठों द्वारा दिए गए फैसलों के बीच सीधा टकराव होता है।*हरियाणा राज्य बनाम रविंदर सिंह*मामला (रियायत पर आधारित) और*पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम जगजीवन राम*(तर्कसंगत निर्णय), उनमें से किसका पालन उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए। में***इंडो स्विस टाइम लिमिटेड***बनाम***उमराव और अन्य.,***एआईआर 1981 पी एंड एच 213, इसी तरह का एक मुद्दा इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष उठा। एसएससंधावालिया, सीजे बोल रहे हैं

स्वयं के लिए (मामले के गुण-दोष पर अल्पमत के दृष्टिकोण से, जिसे बाद में बहुमत के दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाएगा), यह देखते हुए: -

"23. अब यह तर्क कि एक समन्वय पीठ के नवीनतम फैसले का यांत्रिक रूप से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी अन्य विचार के बावजूद पूर्व-प्रतिष्ठित होना चाहिए, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। जब उच्च न्यायालय के निर्णय सह-समान पीठों के होते हैं और इसलिए समान प्राधिकारी के होते हैं तो उनका महत्व अनिवार्य रूप से उसके औचित्य और तर्क पर विचार किया जाना चाहिए, न कि उस समय और तारीख की मात्र आकस्मिक परिस्थितियों पर जिस दिन उन्हें सुनाया गया था। यह स्पष्ट है कि जब उच्च न्यायालय और समान अधिकार वाले दो सीधे विरोधाभासी निर्णय मौजूद हों तो वे दोनों निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप से एक विकल्प चुनना पड़ता है, भले ही यह कठिन हो। इसके सिद्धांतों के आधार पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय को उस निर्णय का पालन करना चाहिए जो उसे कानून को अधिक विस्तृत और सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए प्रतीत होता है। केवल समय की घटना यह है कि सुपीरियर कोर्ट की सह-समान पीठों के फैसले पहले थे या बाद में, यह एक ऐसा विचार है जो मुझे शायद ही प्रासंगिक लगता है।

(जी) उपरोक्त दृष्टिकोण को पीसीजैन, जे. के निम्नलिखित शब्दों में पूर्ण पीठ के अन्य दो माननीय सदस्यों की सहमति प्राप्त हुई: -

"39. इस प्रश्न पर, माय लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा है कि न्यायालय उस निर्णय का पालन कर सकते हैं जो उन्हें कानून को सटीक रूप से बताने के लिए प्रतीत होता है और यह केवल समय की घटना है कि क्या उच्च न्यायालय की सह-समान पीठों का निर्णय है पहले हैं बाद में हैं यह एक ऐसा विचार है जो शायद ही प्रासंगिक प्रतीत होता है। मैंने भी पूरे मामले पर गहन विचार किया है और अपने प्रभु मुख्य न्यायाधीश की उपरोक्त टिप्पणी से खुद को सम्मानजनक सहमत पाया हूं।''

(ज) निर्धारित मापदंडों पर मिसाल के चयन के इस दृष्टिकोण का क्रमशः पटना और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों की दो अन्य पूर्ण पीठों द्वारा समर्थन किया गया है और इसका पालन किया गया है।***अमर सिंह*** बनाम***शांति देवी***, एआईआर 1987 पटना 191 और***गंगा सरन***बनाम ***सिविल जज, हापुड़,*** एआईआर 1991 इलाहाबाद 114.

(i) उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को संकलित करने और पढ़ने और यहां शामिल मुद्दों पर उन पर समय बिताने के बाद, मेरा मानना है कि इसमें घोषित कानून को ध्यान में रखा जाए।*हरियाणा पशुचिकित्सा एवं एएचटीएस एसोसिएशन, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड,विजय सिंह*और *सीता राम*मामले, कानून में*हनुमंत सिंह का* इस न्यायालय द्वारा मामले को सही कानूनी स्थिति या वरिष्ठता, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, उच्च मानक वेतनमान या किसी अन्य समयबद्ध पदोन्नति प्रोत्साहन के संबंध में पिछले तदर्थ, अस्थायी या कार्य के साथ संबंध के आधार पर अनदेखा किया जाना चाहिए। -आदेशों के बावजूद सेवा शुल्क वसूला गया*हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राजेंद्र कुमार और अन्य*जिसमें मौजूदा मामलों से जुड़े कानूनी मुद्दों पर बाध्यकारी अनुपात शामिल नहीं है।

(जे) सेवा में नियमितीकरण या पुष्टिकरण/स्थायित्व से पहले ऐसी सेवा का इलाज करके पेंशन का अधिकार इस न्यायालय द्वारा विकसित अलग-अलग कानूनी सिद्धांतों द्वारा विनियमित होने के लिए एक और गेंद का खेल है और इस के पूर्ववर्ती पूर्ण पीठ के फैसले से शुरू होने वाले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया है। कोर्ट में***केसर चंद***बनाम ***पंजाब राज्य,***एआईआर 1988 पी एंड एच 265। यह लाभ याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा करने के लिए खुला है और नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवा की प्रकृति की परवाह किए बिना सेवानिवृत्ति के समय उन्हें दिया जाता है, जब तक कि यह निरंतर था।

(के) वरिष्ठता के मुद्दे के निर्धारण के संबंध में, एक और पहलू पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि याचिकाओं के इस बैच में याचिकाकर्ताओं की सेवाएं, जो तदर्थ या किसी अन्य अस्थायी क्षमता पर काम कर रहे थे, को संबंधित नियमितीकरण के तहत नियमित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली नीतियाँ। इसलिए, जो मुद्दा विचार के लिए उठता है वह ऐसे नियमित किए गए तदर्थ/अस्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता है*के रू-बरू*कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। राज्य ने नियमितीकरण की सभी प्रासंगिक नीतियां तैयार की हैं और उनके अवलोकन से पता चलेगा कि नियमितीकरण की प्रत्येक नीति में वरिष्ठता के संबंध में एक विशिष्ट शर्त है। स्पष्ट करने के लिए, हम 1 जनवरी 1980 की नियमितीकरण नीति के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 523-3जीएस-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 के खंड 6 के परंतुक के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा इसे बाहर करते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के दायरे में, ऐसे तृतीय श्रेणी के पद, जो 31 दिसंबर, 1979 को तदर्थ कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए रखे गए हैं, जिन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर नियमित किया जाना है;

"2. इस प्रकार नियमित किए गए तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता, नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में, 1-1-1980 से निर्धारित की जा सकती है। ऐसे तदर्थ कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता नियम के अनुसार निर्धारित की जाएगी पद पर शामिल होने की तिथि. यदि ऐसे कर्मचारियों द्वारा तदर्थ आधार पर पद पर शामिल होने की तारीख समान थी, तो एक अधिक उम्र वाले सदस्य को उम्र में छोटे कर्मचारी से वरिष्ठ माना जाएगा।''

(एल) उपर्युक्त प्रावधान उन सभी नियमितीकरण नीतियों में आवर्ती हैं, जिनका पालन करते हुए, तदर्थ/दैनिक वेतन भोगी/आकस्मिक/कार्य-प्रभारित/आकस्मिक कर्मचारियों की सेवाओं को पूरा होने पर नियमित किया जाना था। का निश्चित उसमें दी गई शर्तें, द्वारा ले रहा इससे बाहर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (जिसे अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है) के दायरे से अपेक्षित पद , इसके अलावा, वे स्पष्ट रूप से यह विधि प्रदान करते हैं कि कर्मचारियों की वरिष्ठता कैसे होगी,*इसलिए नियमित किया गया*, निर्धारित किया जाना है। 28 दिसंबर 1991 की नीति और उसके बाद बनाई गई नीतियाँ वरिष्ठता के प्रावधान के संबंध में एक कदम आगे जाकर कहती हैं: "*यदि सीधी भर्ती की नियुक्ति की तारीख और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की तारीख एक ही है, तो सीधी भर्ती वाला वरिष्ठ होगा।*एक बार जब एक तदर्थ/दैनिक रेटेड/कार्य-प्रभारित/आकस्मिक कर्मचारी की सेवाएं एक नीति के तहत नियमित हो जाती हैं, तो यह एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाता है और ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उक्त नीति के अन्य सभी नियमों/शर्तों से बंधी होंगी, विशेष रूप से, पॉलिसी के किसी भी प्रावधान को किसी चुनौती के अभाव में।

(एम) आगामी पैराग्राफ 37 से 43 में अलग से निपटाए गए आठ मामलों को छोड़कर, इन मामलों में कर्मचारियों के होने की संभावना है

वरिष्ठता में प्रभावित लोगों को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। यह स्थापित स्थिति है कि वरिष्ठता के पुन: निर्धारण के दावे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब इससे कैडर के अतीत और वर्तमान में उन लोगों के प्रचलित हित प्रभावित होने की संभावना हो, जिन्हें कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। कई निर्णयों में से, उच्चतम न्यायालय के किसी एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है***राजस्थान राज्य***बनाम***उच्छब लाल छानवाल*****, (2014) 1 एससीसी 144**. सर्टिओरारी और परमादेश की रिट जारी करने से इनकार करने का यह एक अतिरिक्त कारण है।

ऐसे मामले जिनमें निजी उत्तरदाताओं को उत्तरदाताओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

(28) 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2800, सीडब्ल्यूपी नंबर 1591 में याचिकाकर्ता 2007, 2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4705, 2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3090 और 2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9691 आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा में कार्यरत हैं। शुरुआत में उन्हें रोजगार कार्यालय के माध्यम से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में उनकी सेवाओं को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित किया गया था। कुछ याचिकाओं में, श्री. रामपाल सिंह को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है और कुछ मामलों में श्री. मदन मोहन को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

(29) इन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उपरोक्त के बाद से जिन व्यक्तियों के साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम याचिकाओं में सम्मिलित चार्ट में उल्लिखित हैं, उन्हें वरिष्ठता सूची में ऊपर ले जाया गया है, उन्हें भी वही उपचार दिया जाना चाहिए। हालाँकि, कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्या इन व्यक्तियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था या उन्हें वरिष्ठता के लिए तदर्थ सेवा का लाभ दिया गया था।

(30) इसके अलावा, निर्णय पर निर्भरता रखी गई है***के राज्य हरयाणा****बनाम****-सुबाष चंदर किरार***2005 के आरएसए नंबर 3212 ने वरिष्ठता के लिए तदर्थ सेवा के लाभ का दावा करने के लिए 20 जनवरी 2006 को निर्णय लिया। इन रिट याचिकाओं पर राज्य द्वारा दायर जवाब में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री। रामफल सिंह एवं श्री. मदन मोहन को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता उनके साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। लिखित बयान में आगे बताया गया है कि उक्त विभाग के कर्मचारी सुभाष चंदर किरार ने सिविल जज सीनियर डिवीजन, रोहतक की अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि उनकी तदर्थ सेवा की अवधि को वरिष्ठता में गिना जाना चाहिए। मुकदमे पर 10 फरवरी, 2004 को फैसला सुनाया गया और हरियाणा राज्य की अपील को 11 मई, 2005 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1, रोहतक द्वारा खारिज कर दिया गया। नियमित द्वितीय अपील को इस अदालत ने 20 जनवरी, 2006 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियुक्ति नियमों के अनुसार थी और वे विधिवत थीं।

चयनित। बाद में तदर्थ नियुक्ति को बिना किसी अवकाश के नियमित कर दिया गया। आदेश के पालन में सुभाष चंद्र किरार को राहत दी गई। वर्तमान मामले में, राज्य ने आग्रह किया है कि निर्णय तय स्थिति के अनुसार नहीं है। तदर्थ सेवा को वरिष्ठता में नहीं गिना जा सकता। वे इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं***हरियाणा राज्य****बनाम****पियारा सिंह*[26]. राज्य का यह भी रुख है कि उपरोक्त सभी रिट याचिकाएं वर्ष 2007 में दायर होने के कारण देरी और लापरवाही से प्रभावित हैं, जबकि विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची वर्ष 1995 में तैयार की गई थी और वर्ष में इसे अंतिम रूप दिया गया था। 2000.

(31) 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1751 में भी यही मामला है जिसमें यह है याचिकाकर्ता के मामले में स्वीकार किया गया कि निजी प्रतिवादी की सेवाओं को मास्टर/मिस्ट्रेस के रूप में नियमित किया गया था और याचिकाकर्ता की व्याख्याता के रूप में सेवा को नियमित करने से पहले उन्हें व्याख्याता के रूप में पदोन्नत किया गया था। डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा रखा गया है***विजय सिंह****बनाम* ***हरियाणा राज्य***, 2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2409 का फैसला 18 दिसंबर 2008 को हुआ, जिसे हनुमंत सिंह के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए अनुमति दी गई थी।

(32) 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19502 में, चार्ट केवल यह दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति 5 मार्च 1979 को हुई थी और याचिकाकर्ता की नियुक्ति 15 सितंबर 1982 को हुई थी, इस आशय की कोई दलील नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 को याचिकाकर्ता के बाद तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था या उसे लाभ दिया गया था समान व्यवहार की गारंटी देने वाली वरिष्ठता के प्रति तदर्थ सेवा। सुभाष चंद्र किरार के मामले के फैसले के साथ-साथ हनुमंत सिंह के मामले के फैसले पर भी भरोसा जताया गया है।

(33) मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता वैसी राहत के हकदार नहीं हैं सुभाष चन्द्र किरार को प्रदान किया गया। केवल इसलिए कि एक कर्मचारी ने सिविल डिक्री प्राप्त कर ली, यह कानून नहीं बन गया। विषय पर कानून की स्थिति में दूसरी अपील में विलय के बाद भी उस एकल डिक्री का न्यायिक मूल्य इसे संदिग्ध बनाता है और याचिकाकर्ताओं के मामले में राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, जो पहले ही कहा जा चुका है। कैडर वरिष्ठता के संबंध में तदर्थ सेवा पर इस आदेश से पहले।

(34) वर्तमान सभी याचिकाएँ लगभग दो दशकों में दायर की गई हैं याचिकाकर्ताओं के अपनी-अपनी सेवाओं के सदस्य बनने के बाद। अंतराल के दौरान वरिष्ठता की तुलना में अन्य कर्मचारियों के अधिकार व्यवस्थित/क्रिस्टलीकृत हो गए हैं। अत: अत्यधिक विलंब अधिक होता है

[26]एआईआर 1992 एससी 2130

अक्सर वरिष्ठता के दावों के लिए घातक नहीं होता। वरिष्ठता से संबंधित सेवा मामलों में देरी और देरी के विषय पर कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है और इसकी समीक्षा की गई है।***शिबा शंकर महापात्र*** *बनाम***उड़ीसा राज्य**[27]इसकी पिछली मिसालों को निम्नलिखित शब्दों में देखें:-

> "**18.**लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता पर विवाद करते हुए देर से दायर की गई याचिका पर विचार करने का सवाल अब कोई समाधान नहीं रह गया है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने, रामचन्द्र शंकर देवधर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में, पदोन्नति और वरिष्ठता सूची को चुनौती देने में देरी के प्रभाव पर विचार किया और माना कि देर से चरण में वरिष्ठता के लिए किसी भी दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह निहित स्वार्थों को परेशान करना चाहता है। वरिष्ठता, रैंक और पदोन्नति के संबंध में अन्य व्यक्तियों के अधिकार जो उन्हें बीच की अवधि के दौरान प्राप्त हुए हैं। किसी पक्ष को शिकायत का कारण पता चलने के बाद ही अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उक्त मामले का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा किया, विशेष रूप से तिलोकचंद मोतीचंद बनाम एचबी मुंशी में, जिसमें यह देखा गया है कि जिस सिद्धांत पर अदालत देरी या विलंब के आधार पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करती है। , यह है कि रिट याचिका दायर करने में देरी के कारण दूसरों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें तब तक परेशान नहीं होने दिया जाना चाहिए जब तक कि देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण न हो। न्यायालय ने आगे कहा: (तिलोकचंद मामला, एससीसी पृष्ठ 115, पैरा 7)
>
> "7. ...मौलिक अधिकारों का दावा करने वाले पक्ष को अन्य अधिकारों के अस्तित्व में आने से पहले न्यायालय का रुख करना चाहिए। यदि अदालत का रुख करने वाले व्यक्ति की ओर से देरी के कारण उनके अधिकार सामने आते हैं तो अदालतों की कार्रवाई निर्दोष पक्षों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है।''
>
> 19.रामचंद्र शंकर देवधर मामले में इस न्यायालय ने रबींद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ में संविधान पीठ के अपने पहले के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया है: (रवींद्रनाथ बोस मामला, एससीसी पृष्ठ 97, पैरा 33)
>
> "33. ...उत्तरदाताओं को उन अधिकारों से वंचित करना अन्याय होगा जो उन्हें प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए

[27](2010) 12 एससीसी 471

वह आराम से बैठकर इस बात पर विचार करने का हकदार है कि काफी समय पहले की गई उसकी नियुक्ति और पदोन्नति को कई साल बीत जाने के बाद रद्द नहीं किया जाएगा।''

20.आरएस मकाशी बनाम आईएम मेनन में इस न्यायालय ने कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में रिट याचिका दायर करने में सीमा, देरी और देरी के सभी पहलुओं पर विचार किया। कोर्ट ने एमपी राज्य बनाम भाईलाल भाई मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह देखा गया था कि विधायिका द्वारा तय की गई अधिकतम अवधि, जिसके भीतर एक सिविल कोर्ट में मुकदमे द्वारा राहत लाई जानी चाहिए, आमतौर पर हो सकती है। इसे एक उचित मानक माना जाता है जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय खोजने में देरी को मापा जा सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: (आरएस मकाशी मामला, एससीसी पृष्ठ 398-400, पैरा 28 और 30)

“28. ...'33. ... हमें कानून और समानता, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के अनुसार न्याय करना चाहिए। उत्तरदाताओं को उनके द्वारा प्राप्त अधिकारों से वंचित करना अन्याय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को आराम से बैठकर यह विचार करने का अधिकार होना चाहिए कि बहुत समय पहले की गई उसकी नियुक्ति और पदोन्नति कई वर्ष बीत जाने के बाद रद्द नहीं की जाएगी। ...'

* * *

30. ... याचिकाकर्ताओं ने 1968 के सरकारी संकल्प में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों के खिलाफ चुनौती के साथ अदालत में आने में अपनी ओर से अत्यधिक देरी के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। हम तदनुसार मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती 22-3-1968 के सरकारी संकल्प में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा विलंब और लापरवाही के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए था और जहां तक यह उक्त सरकारी संकल्प को रद्द करने की प्रार्थना से संबंधित था, इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए था। बर्खास्त कर दिया गया है।”

21.वरिष्ठता सूची को चुनौती देने का मुद्दा, जो लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, इस न्यायालय द्वारा केआर मुद्गल बनाम आरपी सिंह में फिर से विचार किया गया। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: (एससीसी पृष्ठ 532 और 536, पैरा 2 और 7)

“2. ... एक सरकारी कर्मचारी जो किसी भी पद पर आमतौर पर नियुक्त किया जाता है, उसे कम से कम 3 या 4 साल की अवधि के बाद नियुक्त किया जाना चाहिए।

नियुक्ति को शांतिपूर्वक और बिना किसी असुरक्षा की भावना के अपने पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ...

** * **

7. ...संतोषजनक सेवा शर्तें बताती हैं कि इस मामले की तरह कई वर्षों के बाद दायर की गई रिट याचिकाओं से सरकारी कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि जो कोई भी उसे दी गई वरिष्ठता से व्यथित महसूस करता है उसे यथाशीघ्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए अन्यथा सरकारी सेवकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होने के साथ-साथ प्रशासनिक जटिलताएँ और कठिनाइयाँ भी पैदा होंगी। ... इन परिस्थितियों में हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति को लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया था।''

22. केआर मुद्गल मामले का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने मैल्कम लॉरेंस सेसिल डिसूजा बनाम भारत संघ में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया था: (सेसिल डिसूजा मामला, एससीसी पृष्ठ 602, पैरा) 9)

“9. हालाँकि सेवा की सुरक्षा को किसी लोक सेवक की चूक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक सेवाओं में संतुष्टि और दक्षता की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक सुरक्षा की भावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके सभी विभिन्न पहलुओं में ऐसी सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल है, कम से कम यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि वरिष्ठता सूची में किसी की स्थिति जैसे मामले एक बार तय होने के बाद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर से खोले जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होने चाहिए। उस पक्ष के कहने पर जिसने बीच की अवधि के दौरान चुप रहने का विकल्प चुना। वरिष्ठता जैसे पुराने मामलों को लंबे समय के बाद उठाने से प्रशासनिक जटिलताएँ और कठिनाइयाँ पैदा होने की संभावना है। इसलिए, सेवा की सुचारुता और दक्षता के हित में यह प्रतीत होगा कि ऐसे मामलों को कुछ समय के अंतराल के बाद शांत कर दिया जाना चाहिए।

23.बीएस बाजवा बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर निर्णय लेते समय वही दृष्टिकोण दोहराया, जो निम्नानुसार है: (एससीसी पृष्ठ 526, पैरा 7)

“7. ...यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सेवा में प्रश्न मायने रखता है

ऐसी स्थितियों में उचित अवधि बीत जाने के बाद वरिष्ठता को दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप तय स्थिति में गड़बड़ी होगी जो उचित नहीं है। वर्तमान मामले में ऐसी शिकायत करने में अत्यधिक देरी हुई थी। यह अकेले ही अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप को अस्वीकार करने और रिट याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त था।

(महत्व जोड़ें)

24.दयाराम ए. गुरसहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में, इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए इस न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पूछताछ में 8-9 साल की अत्यधिक देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, वरिष्ठता की वैधता और अन्य कर्मचारी को दी गई पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका।

25. पीएस सदाशिवस्वामी बनाम टीएन राज्य में इस न्यायालय ने उस मामले पर विचार किया जहां पदोन्नति को चुनौती देते हुए चौदह साल की अवधि के बाद याचिका दायर की गई थी। हालाँकि, इस न्यायालय ने माना कि पीड़ित व्यक्ति को राहत के लिए शीघ्रता से न्यायालय का रुख करना चाहिए और पुराना दावा पेश करना स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 154, पैरा 2)

“2. ...अपने से कनिष्ठ को पदोन्नति देने के आदेश से व्यथित व्यक्ति को ऐसी पदोन्नति के कम से कम छह महीने या अधिकतम एक वर्ष के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।''

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां कोई थाअनुच्छेद 226 के तहत अदालतों के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सीमा की अवधि और न ही ऐसा कोई मामला हो सकता है जहां अदालतें निश्चित अवधि के बाद किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यह अदालतों के लिए अधिकार क्षेत्र का एक अच्छा और बुद्धिमान अभ्यास होगा कि वे उन व्यक्तियों के मामले में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार कर दें जो राहत के लिए शीघ्रता से संपर्क नहीं करते हैं और जो खड़े रहते हैं और चीजों को होने देते हैं और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। बासी दावा पेश करना और सुलझे हुए मामलों को अस्थिर करने का प्रयास करना।

26. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा सुदामा देवी बनाम कॉमरेड में दोहराया गया है; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज बहादुर सिंह और उत्तरी भारतीय ग्लास उद्योग बनाम जसवन्त सिंह।

27. दिनकर अन्ना पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय ने माना कि वरिष्ठता को चुनौती देने में देरी और देरी हमेशा घातक होती है, लेकिन यदि पक्ष विलंब के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करता है, तो मामले पर विचार किया जा सकता है।

28.केए अब्दुल मजीद बनाम केरल राज्य में इस न्यायालय ने माना कि किसी भी कर्मचारी को दी गई वरिष्ठता को सात साल की समाप्ति के बाद इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति अनियमित थी, हालांकि योग्यता के आधार पर भी यह पाया गया कि वरिष्ठता उसमें याचिकाकर्ता की स्थिति सही ढंग से तय की गई थी।

29. यह स्थापित कानून है कि आदेश के समापन के बाद बाड़ लगाने वालों को विवाद उठाने या आदेश की वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी पक्ष अधिकार के रूप में राहत का दावा नहीं कर सकता क्योंकि राहत देने से इनकार करने का एक आधार यह है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति देरी और लापरवाही का दोषी है। सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली अदालत पुराने दावों के आंदोलन को प्रोत्साहित नहीं करती है जहां तीसरे पक्ष का अधिकार अंतराल में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। (वीडियो अफलातून बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल; मैसूर राज्य बनाम वीके कंगन; नगरपालिका परिषद, अहमदनगर बनाम शाह हैदर बेग; इंदर जीत गुप्ता बनाम भारत संघ; शिव दास बनाम भारत संघ; एपी एसआरटीसी बनाम सत्यनारायण और शहर और औद्योगिक विकास निगम बनाम दोसु आर्देशिर भिवंडीवाला)।

30. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जो कानूनी प्रस्ताव उभर कर सामने आता है वह यह है कि एक बार वरिष्ठता तय हो जाने के बाद और यह उचित अवधि तक अस्तित्व में रहती है, तो इसके लिए किसी भी चुनौती पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। केआर मुद्गल मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक वरिष्ठता सूची जो 3 से 4 वर्षों तक बिना किसी चुनौती के अस्तित्व में रहती है, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार, वरिष्ठता को चुनौती देने के लिए 3-4 वर्ष एक उचित अवधि है और यदि कोई इस अवधि से अधिक वरिष्ठता के मुद्दे पर आंदोलन करता है, तो उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके न्यायनिर्णयन मंच तक पहुंचने में हुई देरी और देरी के बारे में बताना होगा।

(35) ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके लिए यह माना जाता है कि:-

(i) याचिकाकर्ता प्रासंगिक शर्तों के अनुसार अपने नियमित होने और पहली बार सेवा के सदस्य बनने की तारीख से पहले कैडर में वरिष्ठता के लिए अपनी तदर्थ/कार्य-प्रभारित/अस्थायी सेवा की अवधि की गणना करने के हकदार नहीं हैं।

राज्य सरकार की नीतियां.

(ii) याचिकाकर्ता 8/18 वर्ष की सेवा के साथ-साथ 10/20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अपनी तदर्थ/कार्य-प्रभारित सेवा की अवधि के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं हैं, क्योंकि ऐसी अवधि नियमित के रूप में योग्य नहीं है। 7 अगस्त 1992 की संशोधित योजना के अनुसार संतोषजनक सेवा।

(iii) इसी तरह, याचिकाकर्ता अपने तदर्थ/कार्य प्रभार/अस्थायी सेवा आदि की अवधि के लिए उच्च मानक वेतनमान या सुनिश्चित कैरियर प्रगति वेतनमान के वित्तीय उन्नयन के लाभ के हकदार नहीं हैं। केवल संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई नियमित सेवा ही दावा करने के लिए मायने रखती है। इन मौद्रिक लाभों का अधिकार सख्ती से इन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार है।

(36)परिणामस्वरूप, याचिकाएं खारिज की जाती हैं। द्वारा राहत का दावा किया गया इन मामलों में याचिकाकर्ताओं को तदर्थ नियुक्ति की अवधि को छोड़कर पेंशन और अन्य पेंशन लाभों के लिए अर्हक सेवा में गिना जाता है।

सीनियर **नहीं।**	**मामला संख्या।**	**पार्टियों का नाम**
1.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8276	बिमल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
2.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8536 (ओ एंड एम)	जगदीश चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
3.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10105 (ओ एंड एम)	हरदेवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
4.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12378	प्रेम वती बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
5.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12407	शिव नारायण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
6.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12529	राजेश कालरा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
7.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12549	रणबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
8.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12552	जय सिंह डबास बनाम हरियाणा राज्य

9.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12559	किरण मेहता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
10.	2010 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19074	चंद्रपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
11।	2010 का सीडब्ल्यूपी नंबर 21656	हंस राज गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
12.	2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7097	रणधीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
13.	2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7206	एके गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
14.	2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7418	अशोक कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
15.	2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10061	कृष्णा देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
16.	2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12440	शकुंतला देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
17.	2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12891	नरेश चंद अरोड़ा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
18.	2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 18153	हमीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
19.	1995 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5324	जगतार सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
20.	2000 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1121 (ओ एंड एम)	राम मेहर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
21.	2003 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7103 (ओ एंड एम)	चंदर बाला शर्मा बनाम हरियाणा राज्य
22.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8614	हर्ष कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
23.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13278 (ओ एंड एम)	सूरत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
24.	सीडब्ल्यूपी नंबर 943 का 2008 (ओ एंड एम)	कैलाश शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
25.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3903 (ओ एंड एम)	वीना कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

26.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2879 (ओ एंड एम)	श्री राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
27.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15459 (ओ एंड एम)	जोगिंदर कौशल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
28.	सीडब्ल्यूपी नंबर 704 का 2009 (ओ एंड एम)	वेद प्रकाश कक्कड़ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
29.	सीडब्ल्यूपी नंबर 722 का 2009 (ओ एंड एम)	शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
30.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 765	जय प्रकाश आर्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
31.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 803	सतीश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
32.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 804	नंद कुमार देव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
33.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 805	केपी सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
34.	2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 886	विपिन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य
35.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15728	मदन लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
36.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3090	करतार सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
37.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13834	शकुंतला देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
38.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 208	राज सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
39.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 230	कुलदीप सिंह जगलान और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
40.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1795	बलवंत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
41.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2219 (ओ एंड एम)	राम दिया और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
42.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2442	योगिंदर राणा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

43.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2559	प्रीतपाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य
44.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2604	सतपाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
45.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2649	धन राज सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
46.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2730 (ओ एंड एम)	सुरेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
47.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3913 (ओ एंड एम)	बलवान सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
48.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4271	सीमा रानी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
49.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4284 (ओ एंड एम)	श्री पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
50.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4587	करनैल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
51.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4714 (ओ एंड एम)	मदन लाल शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
52.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5061	जगदीश राय कुलताना और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
53.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5119	दया नंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
54.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5183	महावीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
55.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 6514	पृथ्वी सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
56.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 6536	रमेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
57.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7212 (ओ एंड एम)	तुलसी बाई बठला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
58.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7363 (ओ एंड एम)	दविंदर कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
59.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15183	जिले सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

60.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9867	सुरेश चंद भारद्वाज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
61.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 11150 (ओ एंड एम)	भाग सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
62.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5501	राम किशन लांबा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
63.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1591	अर्जन देव बनाम हरियाणा राज्य
64.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2800 (ओ एंड एम)	महिंदर पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
65.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9691	राम पॉल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
66.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9760	मोती राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
67.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19651 (ओ एंड एम)	राधेश्याम वर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
68.	2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 21293	अशोक कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
69.	2015 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9644	अनिल कुमार शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
70.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 612	राजवीर रावत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य
71.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1271	महावीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
72.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1417	नवरतन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
73.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1486	देवेन्द्र सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
74.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1663 (ओ एंड एम)	सत्यपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
75.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2583 (ओ एंड एम)	रमेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
76.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2586	रिसाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

77.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2596	सतबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
78.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2615	दल चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
79.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2662	सत्य नारायण और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
80.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5057	ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
81.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5062	अंजू और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
82.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5086	अलका चौधरी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
83.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5116	जय प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
84.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 6501 (ओ एंड एम)	मंगत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
85.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 6518	नंद किशोर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
86.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7583 (ओ एंड एम)	सुधीर कुमार सेठी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
87.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7686	धर्मवीर बिस्ला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
88.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9520	ओम कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
89.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13065	बलजीत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
90.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13077	प्रताप सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
91.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13164	अमृत लाल गोयल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
92.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13298	अमरदीप और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
93.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 14766	महाबीर पार्षद मित्तल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

94.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19234	राम भज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
95.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19502	भूदेव शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
96.	2010 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1751	युद्धवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
97.	2010 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9814	कमल कुमार जैन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
98.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4705 (ओ एंड एम)	रणवीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
99.	2007 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13649	सुरिदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
100.	2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4946	राम फल बनाम हरियाणा राज्य

शुब्रीत कौर